प्रसार पत्रक–08 / 2023

भाकृअनुप
ICAR

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएं

प्रियंका सिंह, ए. अरूणाचलम, आर.पी. द्विवेदी एवं सुशील कुमार

केकृवाअनुसं
CAFRI

भाकृअनुप–केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
झाँसी 284003 (उ.प्र.)

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2023

उद्देश्य

बहुत से गरीब परिवार पैसों की तंगी की वजह से बेटी के पैदा से होने से पहले से मार देते है जिसकी वजह से लड़कियों की संख्या कम हो रही है। इन सभी समस्याओ को देखते हुए राज्य सरकार ने यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना, राज्य के लोगो की लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच को बदलना, बेटियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इस योजना के जरिये बालिका के जन्म से ही उन्हें पढाई के लिए प्राप्त राशि उपलब्ध होगी।

योजना के लाभ

- ✓ इस योजना का लाभ राज्य के आर्थिक उप से गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा।
- ✓ यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2023 के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50,000 रूपये की धनराशि जमा की जाएगी और माँ को भी 5,100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ✓ इसके अलावा बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा आठ में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये तथा कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिये जाएंगे।
- ✓ जब लड़की 21 साल की उम्र में पहुँच जाएगी तब 2 लाख रुपये सरकार द्वारा उसके माता–पिता को दिए जाएंगे।
- ✓ इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियों को ही प्रदान किया जायेगा।
- ✓ शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालिका का सरकारी शिक्षण संस्थान में दाखिला होना चाहिए।

योजना की पात्रता

- ➢ आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- ➢ जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
- ➢ यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2023 के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- ➢ माता–पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- ➢ बच्ची को स्वास्थ्य विभाग (Health Dept) से रोग प्रतिरक्षी करना आवश्यक है।
- ➢ 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएँ इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

माता पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भाग्यलक्ष्मी योजना में हिस्सा लेने के लिए बेटी का जन्म जहाँ हुआ है उस अस्पताल का बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो।

कैसे अप्लाई करें

- सर्वप्रथम आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website (http://mahilakalyan.up.nic.in/) पर जाना होगा और वहाँ से यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा।
- PDF डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे बेटी का नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी भरनी होंगी और सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ लगानी होगी।
- इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अपने नजदीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

कन्या सुमंगला योजना 2023

कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ प्रदेश की कन्याओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के जन्म के पश्चात 15 साल की अवधि में ₹15,000 रूपए की धनराशि 6 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत स्वालंबन कैंप का आयोजन अक्टूबर से दिसंबर तक किया जाएगा जिसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं उन्हें लाभवंती किया जाएगा। यह कैंप 26 अक्टूबर, 12 एवं 25 नवंबर तथा 8 एवं 22 दिसंबर को सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे।

पात्रता

- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो अधिकतम गोद ली हुई दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और साथ में उस परिवार की दो और लड़कियां भी लाभ उठा सकती हैं।
- इस योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की दो लड़कियां ही उठा सकती हैं।
- यदि परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं तो उस परिवार को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

- यदि किसी महिला की जुड़वा बेटियां हैं तो उन जुड़वा बेटियों को भी इस योजना का अलग–अलग लाभ मिलेगा। इस स्थिति में एक परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा सकती हैं दो जुड़वा बेटियां और एक और बेटी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, यदि बेटी गोद ली है तो गोद लेने का प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र।

कैसे अप्लाई करें

आवेदक कन्या सुमंगला योजना की Offical Website (mksy-up-gov-in) पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषिवानिकी खाद्य उत्पादन का एकीकृत और टिकाऊ मॉडल बनकर उभरी है। कृषि फसलों या पशु के साथ वृक्ष प्रजातियों का एकीकरण छोटे एवं भूमिहीन किसानों के कृषि उत्पादकता के साथ ईंधन, फाइबर और उर्वरक के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करती है। खेत में लगे पेड़ लकड़ी आधारित उद्योगों का समर्थन करके विविध गैर–कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इतने महत्वपूर्ण योगदानों के बावजूद किसानों में कृषिवानिकी को अपने खेत पर लगाने की दर काफी कम है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर और ग्रामीण आजीविका के उत्थान के लिए केंद्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना झाँसी में सन 1988 की गई थी। यह संस्थान भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में सीमांत और बंजर भूमि के लिए स्थायी कृषिवानिकी प्रणालियों का विकास करता है, विभिन्न वृक्ष प्रजातियों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करता है, कृषि वानिकी के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु ग्रामीण लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

संस्थान द्वारा प्रकाशित इस प्रसार पत्रक का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं के विषय में ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।

मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश: डॉ. ए. अरूणाचलम, निदेशक
सम्पादन: डॉ. आर.पी. द्विवेदी एवं डॉ. प्रियंका सिंह
तकनीकी सहायता: अजय पान्डेय एवं प्रद्युम्न सिंह, छायांकन: राजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रकाशक:
निदेशक
भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान संस्थान
झाँसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, झाँसी 284003 (उ.प्र.)
+91-510-2730214 director.cafri@icar.gov.in https://cafri.icar.gov.in
Twitter: #icarcafri LinkedIn: #icarcafri Instagram: #ic Facebook: #icarcafri

मुद्रक : क्लासिक इण्टरप्राइजेज, झाँसी. 7007122381